

**उद्योग समूह**



## अध्याय IV: वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)

### इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

#### 4.1 ऋण और ब्याज की संदिग्ध वसूली

संघीय ऋण के तहत, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने उचित परिश्रम किए बिना थर्मल पावर परियोजना के निर्माण के लिए एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड को ₹470 करोड़ का ऋण वितरित किया। शुरू होने के बावजूद, ईंधन आपूर्ति करार के तहत सहमत दरों पर कोयले की आपूर्ति न होने के कारण परियोजना व्यवहार्यता से न चल सकी और आईआईएफसीएल की संपूर्ण ऋण परिसंपत्ति 31 दिसंबर 2020 तक ₹400.49 करोड़ के लिए गैर-निष्पादन परिसंपत्ति में बदल दिया (अप्रैल 2018)। इसके परिणामस्वरूप ₹400.49 करोड़ के ऋण राशि और ₹269.43 करोड़ के ब्याज की वसूली होना संदिग्ध है।

एक संघीय ऋण के तहत, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) ने गुजरात के वाडीनार में 1,200 मेगावाट के आयातित<sup>1</sup> कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड<sup>2</sup> को ₹470 करोड़ के एक ऋण की मंजूरी दी (अगस्त 2007)। परियोजना की अनुमानित लागत ₹4,820 करोड़ थी, जिसे मई 2011 में निर्धारित शुरुआत के साथ 3:1 के ऋण-इक्विटी अनुपात में वित्त पोषित किया जाना था। एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड द्वारा एक सहायक<sup>3</sup> कम्पनी के माध्यम से ईंधन के रूप में कोयले की आपूर्ति की योजना बनाई गई थी।

एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड ने 25 वर्षों के लिए 1,000 मेगावाट विद्युत की बिक्री के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ एक विद्युत खरीद करार (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए थे (फरवरी 2007) और 25 वर्षों के लिए आयातित कोयले की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए एक सहायक कंपनी एस्सार शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड<sup>4</sup> के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया था (जून 2007)। उधारकर्ता ने मई 2008 में उसी सहायक कंपनी एस्सार शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के साथ एफएसए पर हस्ताक्षर किए।

<sup>1</sup> इंडोनेशिया कोयला

<sup>2</sup> एस्सार पावर लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी

<sup>3</sup> सहायक कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक ही प्रवर्तको से संबंधित है।

<sup>4</sup> एस्सार पावर लिमिटेड की अन्य सहायक कंपनी

आईआईएफसीएल ने अक्टूबर 2009 से मई 2012 के दौरान एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड को ₹470 करोड़ का ऋण वितरित किया। जून 2012 में प्लांट चालू हुआ था।

सितंबर 2010 में, इंडोनेशियाई विनियमों में बदलाव हुआ था, जिससे इंडोनेशियाई आपूर्तिकर्ताओं से आयात किए जाने वाले कोयले की कीमतों में वृद्धि हुई थी। एफएसए के अप्रत्याशित घटना खंड के तहत कवर किए जा रहे आयातित कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी की याचिका पर एस्सार शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने एफएसए के तहत कोयले की आपूर्ति नहीं की और दिसंबर 2013 में एफएसए को समाप्त कर दिया। चूंकि पीपीए के तहत आपूर्ति की जाने वाली विद्युत का टैरिफ ईंधन लागत में वृद्धि के लिए असंवेदनशील था, इसलिए कोयले की अतिरिक्त लागत ने एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड के परिचालन और वित्तीय स्थिती को प्रभावित किया। 2012-13 से 2016-17 के दौरान, ₹2,514.46 करोड़ की वित्तीय हानि झेलने के बाद नवंबर 2017 में संयंत्र को बंद कर दिया गया था, क्योंकि ₹2.90 प्रति यूनिट के राजस्व के मुकाबले उत्पादन की अधिक लागत ₹3.10 प्रति यूनिट थी।

एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड द्वारा ऋण/ब्याज की अदायगी में चूक पर आईआईएफसीएल ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों के तहत अप्रैल 2018 में गैर-निष्पादन परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में पूरे ऋण और ब्याज को वर्गीकृत किया था। गुजरात सरकार ने अपनी नीति निर्देश (3 जुलाई 2018) के तहत गुजरात राज्य में तीन<sup>5</sup> थर्मल पावर परियोजनाओं की स्ट्रैसड परिसंपत्तियों के समाधान के लिए हाई पावर कमेटी (एचपीसी) का गठन किया और एक पुनर्वास पैकेज का प्रस्ताव किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऋणदाताओं की ओर से 20 पैसे प्रति यूनिट की क्षमता प्रभार में 90 प्रतिशत की मानक उपलब्धता तक ऋण में कमी करके और विद्युत की दरों में वृद्धि का परित्याग शामिल था। गुजरात विद्युत नियामक आयोग ने पुनर्वास पैकेज को अनुमोदित किया (अप्रैल 2020)। प्रबंधन ने सूचित किया (फरवरी 2021) कि ऋण में कमी करके उधारदाताओं की ओर से परित्याग को पुनर्गठन/संकल्प योजना तैयार करने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

31 दिसंबर 2020 तक, आईआईएफसीएल का ऋण, एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड से वसूली किए जा सकने वाले ₹269.43 करोड़ के ब्याज को छोड़कर ₹400.49 करोड़ था। आईआईएफसीएल ने इस ऋण परिसंपत्ति के प्रति ₹240.30 करोड़ यानी बकाया मूलधन का 60 प्रतिशत का प्रावधान किया।

<sup>5</sup> अडानी पावर लिमिटेड: 4,620 मेगावाट, तटीय गुजरात पावर लिमिटेड: 4,150 मेगावाट और एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड: 1,200 मेगावाट

इस संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि पीपीए में कानून की परिभाषा और कानून में परिवर्तन/अप्रत्याशित घटना केवल भारत में कानून को कवर करता है। कानून में परिवर्तन में सहमति/अनुमोदन या परियोजना के लिए प्राप्त किए गए या उपलब्ध लाइसेंस को कवर करता है। पीपीए के तहत परियोजना को डिजाइन, वित्तपोषण, इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति, विद्युतघर के निर्माण और इसके परिचालन और रखरखाव के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार, इसने आयातित कोयले के लिए विदेशी कानून में परिवर्तन के कारण प्रभाव को कवर नहीं किया। जबकि 'एफएसए में, अप्रत्याशित घटना/कानून में परिवर्तन' घटनाक्रम, परिवर्तन, अधिनियमन, प्रख्यापन, संशोधन, निलंबन, या किसी भी लागू कानूनों को निरस्त करने की तिथि के बाद, जिसका इस करार के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की पार्टी की क्षमता पर एक सामग्री प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, को कवर करता है। इस प्रकार, इसने किसी भी घटनाक्रम को कवर नहीं किया जिसका प्रभाव कोयले की कीमत पर पड़ा और बाद में पार्टी के अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने से इनकार करना पड़ा। इस तथ्य को न तो मूल्यांकन नोट में शामिल किया गया और न ही इस जोखिम को कम करने के लिए कोई उपाय किये गये। इसके परिणामस्वरूप इस ऋण खाते के प्रति ₹669.92 करोड़ (₹400.49 करोड़ + ₹269.43 करोड़) की राशि की देयताओं की वसूली संदिग्ध है।

आईआईएफसीएल ने उत्तर दिया (जून 2021) कि उन्होंने सिफटी<sup>6</sup> नीति के अनुसार ऋण वितरित करने में परियोजना के वित्तीय मूल्यांकन के लिए अग्रणी बैंक का अनुसरण किया और एफएसए को एस्सार शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड द्वारा इंडोनेशियाई विनियमों में परिवर्तन के लिए समाप्त कर दिया गया था, जिसके कारण एस्सार शिपिंग और लॉजिस्टिक्स लिमिटेड द्वारा आयात किए जाने वाले कोयले की कीमत में वृद्धि हुई। यह परियोजना नवंबर 2017 तक परिचालन में थी।

आईआईएफसीएल का उत्तर निम्नलिखित तथ्यों के संदर्भ में देखा जाए:

- किसी भी वित्तीय संस्थान का प्राथमिक उत्तरदायित्व यह है कि वह अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा इसके मूल्यांकन के बावजूद ऋण की स्वीकृति के लिए विचाराधीन परियोजनाओं के प्रमाण पत्र के बारे में स्वयं को संतुष्ट करे।
- भले ही दिसम्बर 2013 में एफएसए को समाप्त कर दिया गया था, सितम्बर 2010 में कोयले के मूल्य निर्धारण पर इंडोनेशियाई नियमों में बदलाव से कोयले की कीमत में वृद्धि हुई थी और आईआईएफसीएल सहित ऋणदाता सितम्बर 2010 में परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए एस्सार शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की सहमत

<sup>6</sup> वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आईआईएफसीएल के माध्यम से व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए योजना

दर पर कोयले की आपूर्ति करने की क्षमता का पुनर्मूल्यांकन करने में विफल रहे। यह परिवर्तन पीपीए में शामिल नहीं किया गया था। इस घटना के बाद भी, आईआईएफसीएल ने एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड को ₹163.21 करोड़ का ऋण वितरित किया।

इस प्रकार, परियोजना मूल्यांकन की उचित सावधानी में आईआईएफसीएल की विफलता के कारण ₹400.49 करोड़ की एनपीए और ब्याज के प्रति ₹269.43 करोड़ का अविवेकपूर्ण संवितरण और वसूली होना संदिग्ध है।

ऑडिट पैराग्राफ मंत्रालय को मई 2021 में जारी किया गया था; उत्तर (जुलाई 2021) अपेक्षित है।

#### आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड

#### 4.2 उधारकर्ताओं से बकाया की वसूली न होना

आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड ने आशापुरा इंटीमेट्स फैशन लिमिटेड (₹10 करोड़) और आर्कोटेक लिमिटेड (₹15 करोड़) को क्रमशः अगस्त 2018 और मई 2016 में दो ऋण स्वीकृत किए। कंपनी दोनों ऋणों को संस्वीकृत/ वितरित करते समय अपनी ऋण नीति और ऋण करार की शर्तों से विचलित हो गई और बकाया राशि की वसूली के लिए उधारकर्ताओं के गिरवी शेयरों की बिक्री के लिए शेयर गिरवी करारों के अनुपालन में समय पर कार्रवाई करने में विफल रही। इसके कारण दोनों उधारकर्ताओं से ₹27.34 करोड़ की बकाया राशि की वसूली नहीं हुई।

4.2.1 आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड (कंपनी) के निदेशकों की कार्यकारी समिति ने सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए आशापुरा इंटीमेट्स फैशन लिमिटेड (एआईएफएल) को ₹10 करोड़ का कॉर्पोरेट ऋण स्वीकृत किया (8 अगस्त 2018), जिसमें से 28 सितंबर 2018 को ₹9 करोड़ वितरित किए गए। यह ऋण, एआईएफएल के 6,50,000 शेयरों को गिरवी रखने, प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी, ब्याज और मूलधन पुनर्भुगतान के लिए पोस्ट-दिनांकित चेक और ₹10 करोड़ के मांग वचन पत्र के माध्यम से सुरक्षित किया गया था। ऋण करार की शर्तों के अनुसार, ऋण को 33 महीने की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया था, जिसपर छह महीने की रोक थी और बकाया ऋण राशि के 2.5 गुना प्रतिभूति कवर को एआईएफएल द्वारा हर समय बनाए रखना चाहिए था।

कंपनी की ऋण नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को निर्धारित किया गया था:

- उधारकर्ता का नाम एक नवीनतम सिबिल चूककर्ता सूची, जो कि स्वीकृति के समय 30 दिनों से पुराना न हो, में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, उधारकर्ता/ प्रवर्तक/ व्यक्तिगत

गारंटर का क्रेडिट स्कोर 600 से कम नहीं होगा और किसी भी विचलन को कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

- इसके अलावा, इनमें से किसी भी स्थिति में कमी को वितरण से पहले परिवर्तनों को मंजूरी देने या अन्यथा निर्णय लेने के लिए स्वीकृति प्राधिकारी को भेजा जाना चाहिए।
- संपत्तियों के पूरे विवरण वाले व्यक्तिगत गारंटर्स के अद्यतित निवल धन प्रमाण पत्र ऋण वितरण से पहले प्राप्त किए जाने चाहिए।
- यदि, निर्धारित प्रतिभूति कवर 10 प्रतिशत तक कम हो जाता है या प्रतिभूति कवर निर्धारित प्रतिभूति से कम होने के साथ, गिरवी रखे गए शेयरों का बाजार मूल्य 25 प्रतिशत तक कम हो जाता है, तो उधारकर्ता नकद अतिरिक्त राशि प्रदान करेगा तथा ऐसा न होने पर कंपनी शेयर बेचने के विकल्प का प्रयोग कर सकती है।

इसके अलावा, शेयर गिरवी करार में यह निर्धारित किया गया था कि गिरवी रखने के समय पर मूल्य की तुलना में 20 प्रतिशत या उससे अधिक के शेयर मूल्य में गिरावट होने की स्थिति में उधारकर्ता, अतिरिक्त मुफ्त इक्विटी शेयरों का टॉप-अप प्रदान करेगा या बकाया ऋण के कम से कम 2.5 गुना नकदी कवरेज प्रदान करने के लिए नकद मार्जिन जमा करेगा। टॉप-अप या कैश अतिरिक्त नकदी के भुगतान में चूक के मामले में कंपनी को एक दिन के नोटिस के साथ गिरवी रखे गए शेयरों को खुले बाजार में बेचने का अधिकार होगा। ऋण करार में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित, को निर्धारित किया गया:

- ऋण वितरण से पहले, क्रेडिट सूचना रिपोर्ट मौजूदा उधारदाताओं से प्राप्त की जाएगी, जो संतोषजनक होनी चाहिए और उधारकर्ता उस खाते के संबंध में नो-सेट-ऑफ का पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें वितरण किया जाना है।
- यदि उधारकर्ता/ प्रवर्तक/ गारंटर/ गिरवीकर्ता किसी भी आर्थिक अपराध को अंजाम देते हैं या बेईमानी से जुड़े किसी आपराधिक या गैरकानूनी कृत्य, या निष्ठा के कोई महत्वपूर्ण उल्लंघन या लागू सांविधिक कानूनों के उल्लंघन में शामिल पाए जाते हैं, जिसका व्यवसाय पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो कंपनी दो सप्ताह का नोटिस देने के बाद ऋण को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

एआईएफएल के शेयरों का बाजार मूल्य ₹439 के गिरवी मूल्य के प्रति ऋण वितरण की तिथि (28 सितंबर 2018) पर ₹341.50 यानि 22.20 प्रतिशत घट गया और इसलिए, कंपनी ने उसी दिन 2.5 गुना प्रतिभूति कवर बनाए रखने के लिए 83,138 शेयरों के टॉप-अप की मांग की। एआईएफएल ने 01 अक्टूबर 2018 को 2,55,000 अतिरिक्त शेयरों को गिरवी रखा। 03 अक्टूबर 2018 को, एआईएफएल के शेयर मूल्य में ₹246 (यानी,

गिरवी मूल्य से 44 प्रतिशत) तक और गिरावट आई जिससे उपलब्ध प्रतिभूति कवर में ₹22.50 करोड़ के आवश्यक प्रतिभूति कवर के प्रति ₹2.47 करोड़<sup>7</sup> की कमी आई। इसलिए, कंपनी ने एआईएफएल से ₹2.50 करोड़ नकद मार्जिन के लिए माँग की (03 अक्टूबर 2018), जिसे एआईएफएल द्वारा जमा नहीं किया गया। कंपनी ने एआईएफएल को निर्देश दिया (08 अक्टूबर 2018) कि वह बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करे जिसमें ऋण वितरित हुआ था, जिसमें यह खुलासा किया गया था कि कंपनी द्वारा वितरित की गई राशि प्रवर्तक के व्यक्तिगत खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी। इसके अलावा, एआईएफएल का मुख्य प्रवर्तक 02 अक्टूबर 2018 से लापता था। एआईएफएल की केयर रेटिंग भी दिसंबर 2018 में केयर सी तक कम हो गई।

एआईएफएल, 31 दिसंबर 2018 अर्थात् ऋण वितरण की तिथि से थोड़ी ही अवधि के भीतर भुगतान करने में चूक गया। कंपनी ने दिसंबर 2018, जनवरी 2019 और फरवरी 2019 में पूर्व-दिनांकित चेक जमा किए लेकिन अपर्याप्त निधि के कारण इसे अदाकर्ता बैंकों द्वारा लौटा दिया गया। 28 फरवरी 2019 तक बकाया ऋण ₹9.31 करोड़<sup>8</sup> था। नकद अतिरिक्त राशि और प्रतिभूति के टॉप-अप के लिए कई अनुवर्ती कार्यवाई के बाद, कंपनी ने 18 फरवरी 2019 को एक ऋण वापसी नोटिस जारी किया। चूंकि एआईएफएल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, इसलिए कंपनी ने एआईएफएल के 41,369 शेयर बेचे (19 फरवरी 2019) और ₹4.36 लाख की राशि वसूल की। प्रतिभूति कवर में और अधिक क्षरण से बचने के लिए शेयरों की आगे की बिक्री पर रोक लगा दी गई। गारंटी आह्वान नोटिस, 26 फरवरी 2019 को जारी किया गया। एआईएफएल के ऋण खाते को 31 मार्च 2019 को एनपीए के रूप में घोषित किया गया था। कंपनी ने एआईएफएल को धोखाधड़ी का मामला घोषित किया और भारतीय रिजर्व बैंक को इसकी सूचना दी (मई 2019) और केंद्रीय जांच ब्यूरो के पास शिकायत भी दर्ज की (जनवरी 2020)। कंपनी ने जुलाई 2019 में ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दिल्ली के समक्ष आवेदन और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत आपराधिक शिकायतें भी दायर की (मार्च 2019 और मई 2019)। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने आईडीएफसी बैंक द्वारा फाइल कॉर्पोरेट दिवालिया आवेदन के आधार पर एआईएफएल के परिसमापन के लिए आदेश पारित किया

<sup>7</sup> 3 अक्टूबर 2018 को गिरवी रखे गए शेयरों की संख्या = 6,50,000 + 2,55,000 = 9,05,000  
3 अक्टूबर 2018 तक शेयर की कीमत ₹246 थी और कंपनी प्रतिभूति कवर का मूल्यांकन करने के लिए बंद बाजार मूल्य का 90 प्रतिशत लेता है। इसलिए, उपलब्ध प्रतिभूति कवर ₹20.03 करोड़ अर्थात्  $246 \times 90\% \times 9,05,000$  था। न्यूनतम प्रतिभूति कवर की आवश्यकता ऋण राशि का 2.5 गुना अर्थात् ₹22.50 करोड़ थी। इसलिए, प्रतिभूति में कमी ₹2.47 करोड़ थी (₹22.50 करोड़ - ₹20.03 करोड़)।

<sup>8</sup> 9.31 करोड़ = मूलधन ₹9 करोड़ और ब्याज ₹31 लाख



(05 अक्टूबर 2020)। तदनुसार, कंपनी ने 14 अक्टूबर 2020 को परिसमापक के समक्ष दावा फाइल किया।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी अपनी ऋण नीति, शेयर गिरवी करार और ऋण करार से विचलित हो गई, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

- ऋण स्वीकृत करने के समय, विचाराधीन सिबिल चूककर्ताओं की सूची 30 दिन से अधिक पुरानी थी।
- ऋण मंजूर होने के समय एक प्रवर्तक का क्रेडिट स्कोर 662 था, जो संवितरण से पहले घटकर 543 हो गया (26 सितंबर 2018)। इसलिए, इस विचलन को सक्षम प्राधिकारी होने के नाते कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता थी। हालांकि, इसे कार्यकारी समिति को प्रस्तुत नहीं किया गया था, लेकिन इस संबंध में वितरण नोट में ही केवल खुलासा किया गया था, जिसे प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत किया गया था।
- कंपनी ने 31 मार्च 2018 के बजाय 31 मार्च 2017 तक के व्यक्तिगत गारंटर के निवल धन प्रमाण पत्र स्वीकार किए। इसके अलावा, व्यक्तिगत गारंटर्स के निवल धन में मुख्य रूप से एआईएफएल के शेयरों में ही निवेश शामिल था।
- एआईएफएल को सबसे बड़े ऋणदाता यानी भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से क्रेडिट सूचना रिपोर्ट और एसबीआई से नो-सेट-ऑफ का पत्र ऋण राशि वितरित करने से पहले कंपनी द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था।
- इस तथ्य के बारे में जानकारी होने के बावजूद (10 अक्टूबर 2018) कि एआईएफएल के लापता प्रवर्तक ने ऋण राशि का गबन कर लिया था, कंपनी ने ऋण करार के अनुसार तुरंत ऋण को वापस नहीं लिया और केवल 18 फरवरी 2019 को ऋण वापसी की मांग की।
- एआईएफएल द्वारा नकद अतिरिक्त राशि जमा करने में विफलता की तिथि (03 अक्टूबर 2018) और कंपनी द्वारा एआईएफएल के 41,360 शेयर बेचने की तिथि (19 फरवरी 2019) के बीच, एआईएफएल के लगभग ₹2.83 करोड़ शेयरों को एनएसई/बीएसई में ₹221 से ₹11 प्रति शेयर तक की कीमत पर ट्रेड किया था। हालांकि, कंपनी ने एआईएफएल द्वारा नकद अतिरिक्त राशि जमा करने में विफलता के बाद गिरवी रखे शेयरों की बिक्री के लिए समय पर कार्रवाई शुरू नहीं की और 19 फरवरी 2019 तक इंतजार किया जब उसने ₹4.36 लाख के लिए 9,05,000 गिरवी शेयरों में से केवल 41,369 शेयर बेचे। मध्यवर्ती अवधि के दौरान, शेयर की कीमत में 95 फीसदी की गिरावट आई थी।

इस प्रकार, कंपनी ने एआईएफएल को ऋण स्वीकृत करने और वितरित करते समय ऋण नीति के प्रावधानों का पालन नहीं किया और ऋण को वापस लेने के लिए या एआईएफएल से ₹12.55 करोड़ के बकाया ऋण की वसूली के लिए गिरवी शेयरों को बेचने के लिए ऋण करार और शेयर गिरवी करार के प्रावधानों के अनुसार समय पर कार्रवाई करने में भी विफल रही।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार किया (फरवरी 2021) कि (i) व्यक्तिगत गारंटियों का निवल धन प्रमाण पत्र अद्यतित निवल धन प्रमाण पत्र के बजाय एक वर्ष पुराना था, और (ii) सिबिल क्रेडिट स्कोर की आवश्यकता के संबंध में ऋण नीति से विचलन कार्यकारी समिति को प्रस्तुत करने के बजाय केवल वितरण नोट में प्रस्तुत किया गया था। प्रबंधन ने आगे कहा कि:

- कार्यकारी समिति के निर्देशानुसार, एसबीआई के साथ एआईएफएल के नियमित संचालन के संबंध में उधारकर्ता से एक शपथपत्र/उपक्रम/अन्य सहायक दस्तावेज जो ऋण खाते के संव्यवहार को सत्यापित करने के लिए उक्त एनओसी के लिए एसबीआई को प्रस्तुत अनुरोध पत्र की प्रति के साथ समर्थित थे, को उधारकर्ता से प्राप्त किया गया था।
- कंपनी बाजार में लगातार गिरावट फ्रीज और कम चलनिधि के कारण किसी भी शेयर को बेचने में असमर्थ थी, और प्रतिभूति कवर में और अधिक कमी के अनुरक्षण के लिए, बिक्री पर रोक लगा दी गई थी।
- कंपनी ने अतिरिक्त शेयरों/वैकल्पिक प्रतिभूति को टॉप-अप करने/नकद अतिरिक्त राशि प्रदान करने और ऋण खाते को नियमित करने के लिए और अतिदेय के निपटान करने के लिए उधारकर्ता पर दबाव बनाने के लिए नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की।

निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उत्तर तर्कसंगत नहीं है:

- संवितरण नोट में क्रेडिट स्कोर के संबंध में विचलन प्रस्तुत करना न्यायोचित नहीं था क्योंकि ऋण की स्वीकृति के बाद किसी भी विचलन को सक्षम प्राधिकारी (अर्थात् कार्यकारी समिति) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।
- एसबीआई के साथ नियमित संव्यवहार के संबंध में उधारकर्ता से प्राप्त शपथ पत्र, एसबीआई से ऋण सूचना रिपोर्ट प्राप्त करने के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता है।
- एआईएफएल का शेयर मूल्य, ऋण वितरण के ठीक बाद लगातार गिरावट की प्रवृत्ति दर्शा रहा था। इसलिए, नकद अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने में चूक होने अर्थात् 03 अक्टूबर 2018 के ठीक बाद कंपनी को गिरवी रखे गए शेयरों की बिक्री के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। गिरवी रखे गए शेयरों को निपटाने के लिए 03 अक्टूबर 2018

और 19 फरवरी 2019 (शेयरों की बिक्री की तारीख) की अवधि के बीच एनएसई/ बीएसई में पर्याप्त ट्रेडिंग वॉल्यूम उपलब्ध था।

इस प्रकार, ऋण नीति, ऋण करार और शेयर गिरवी समझौते की शर्तों का अनुपालन न करना और गिरवी रखे गए शेयरों को बेचने के लिए समय पर कार्रवाई करने में विफलता के कारण एआईएफएल से ₹12.55 करोड़<sup>9</sup> के बकाया देय की वसूली नहीं हुई (31 जनवरी 2021 तक)।

**4.2.2** आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड (कंपनी) के निदेशकों की कार्यकारी समिति ने आर्कोटेक लिमिटेड (उधारकर्ता) को मासिक आधार पर देय 14.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर ₹15 करोड़ का कॉर्पोरेट ऋण अनुमोदित किया (मई 2016)। कंपनी की ऋण नीति के अनुसार, यदि उधारकर्ता की बाहरी क्रेडिट रेटिंग छह महीने से अधिक पुरानी है, तो आंतरिक रेटिंग देने की आवश्यकता थी। हालांकि, कंपनी ने उधारकर्ता को सुविधा स्वीकृत करने के समय क्रेडिट रेटिंग प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यक शर्त, अर्थात् छह महीने से अधिक नहीं, पर छूट दी। अनुमोदित ऋण का उपयोग उधारकर्ता की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को दीर्घकालिक संवर्धन के लिए किया जाना था। ऋण की अवधि पहले संवितरण की तिथि से 48 महीने (12 महीने की स्थगन सहित) थी, और इसे स्थगन अवधि के बाद प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन देय समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना था। 09 जून 2016 को उधारकर्ता के साथ कॉर्पोरेट ऋण समझौता और शेयर गिरवी समझौता किया गया था और ऋण राशि 09/10 जून 2016 को वितरित की गई थी।

ऋण समझौते के अनुसार, ऋण को ₹370 प्रत्येक के सूचीबद्ध 13,00,000 इक्विटी शेयरों की गिरवी के माध्यम से 2.5 गुना के कुल प्रतिभूति कवर के साथ सुरक्षित किया गया था। इसके अलावा, ब्याज और मूलधन अदायगी के लिए उत्तर-दिनांकित चेक भी प्राप्त किए गए। उधारकर्ता ने अपने शेयरों को 1:5 के अनुपात में विभाजित किया। तदनुसार, कंपनी के साथ गिरवी रखे गए शेयरों की संख्या 13 लाख से बढ़कर 65 लाख हो गई। शेयर के विभाजन के कारण, इसका बाजार मूल्य भी तदनुसार अर्थात् ₹74 प्रति शेयर (₹370/5) समायोजित किया गया था।

ऋण समझौते में यह भी निर्धारित किया गया था कि गिरवी रखने के समय मूल्य की तुलना में शेयर मूल्य में 10 से 20 प्रतिशत गिरावट के मामले में, उधारकर्ता तीन कार्य दिवसों के भीतर मुफ्त इक्विटी शेयरों के गिरवी के रूप में टॉप-अप करेगा और यदि शेयर मूल्य में 20 प्रतिशत या उससे अधिक की गिरावट आती है, उधारकर्ता ऋण की मियाद के

<sup>9</sup> ₹12.55 करोड़ = मूलधन ₹9.00 करोड़ + ब्याज ₹3.55 करोड़

दौरान हर समय बकाया ऋण के कम से कम 2.5 गुना की प्रतिभूति कवरेज बनाए रखने के लिए नकद अतिरिक्त राशि जमा करेगा।

उधारकर्ता, मई 2017 से नियत तिथियों पर ब्याज के भुगतान में और अगस्त 2017 से (मूलधन पुनर्भुगतान की पहली किस्त के लिए देय महीना) से देय मूलधन के पुनर्भुगतान में अनियमित था। उधारकर्ता द्वारा सितंबर 2017 तक अपेक्षित प्रतिभूति कवर को बनाए रखा गया था। इस बीच, उधारकर्ता के शेयर मूल्य में 16 अक्टूबर 2017 को ₹74 (शेयर विभाजन के बाद व्युत्पन्न घोषित मूल्य) से ₹65.10 (10 प्रतिशत से अधिक गिरावट) और 25 अक्टूबर 2017 को ₹58.95 (20 प्रतिशत से अधिक गिरावट) तक की गिरावट आई। कंपनी ने उधारकर्ता से कहा (अक्टूबर 2017) कि वह बकाया ऋण राशि के 2.5 गुना के स्तर को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त शेयरों/नकद अतिरिक्त राशि की भरपाई करे। हालांकि, उधारकर्ता ने बार-बार प्रतिभूति को टॉप अप करने और बकाया चुकाने का आश्वासन दिया, लेकिन उसने वादा पूरा नहीं किया।

कंपनी ने ₹1.04 करोड़ में 4,20,401 शेयर बेचे (मई 2018) और मूलधन/ब्याज के भुगतान के लिए इसे समायोजित किया। हालांकि, उधारकर्ता ने 02 मई 2018 और 02 जुलाई 2018 के बीच 30 लाख शेयरों<sup>10</sup> को टॉप-अप किया, जुलाई 2018 में प्रतिभूति कवर शेयर की कीमत में भारी गिरावट के कारण ₹37.50 करोड़ के न्यूनतम कवर के मुकाबले केवल ₹10.90 करोड़<sup>11</sup> तक पहुंच सका और अंततः आवश्यक न्यूनतम प्रतिभूति कवर से 70.93 प्रतिशत कम था। उधारकर्ता द्वारा लगातार चूक को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने 25 सितंबर 2018 से 24 दिसंबर 2020 के दौरान 7,57,787 शेयरों को ₹0.41 करोड़ में बेचा।

कंपनी ने मई 2018, सितंबर 2018 और मार्च 2019 में बैंक में उत्तर-दिनांकित चेक भी जमा किए, लेकिन अपर्याप्त निधि के कारण इसे अदाकर्ता बैंकों ने लौटा दिया।

उधारकर्ता के ऋण खाते को कंपनी द्वारा 31 दिसंबर 2018 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित किया गया था। कंपनी ने नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट के खंड 138 के तहत, आपराधिक शिकायत फाइल की (मई 2019)। जुलाई 2019 में ऋण वसूली

<sup>10</sup> 30,00,000 शेयर = 02 मई 2018 को 5,00,000 शेयर, 14 मई 2018 को 10,00,000 शेयर, 08 जून 2018 को 5,00,000 शेयर और 02 जुलाई 2018 को 10,00,000 शेयर।

<sup>11</sup> 02 जुलाई 2018 को गिरवी शेयरों की संख्या = 65,00,000 + 30,00,000 - 4,20,401 = 90,79,599~90.8 लाख। 02 जुलाई 2018 को शेयर की कीमत ₹15 थी और कंपनी, प्रतिभूति कवर का मूल्यांकन करने के लिए समापन बाजार मूल्य का 80 प्रतिशत लेती है। इसलिए, उपलब्ध प्रतिभूति कवर ₹10.90 करोड़ (₹15\*80 प्रतिशत \*90.8 लाख शेयर) था जो ₹37.5 करोड़ (₹15 करोड़ \*2.5) के आवश्यक न्यूनतम प्रतिभूति कवर से 70.93 प्रतिशत कम था।

न्यायाधिकरण (डीआरटी) और नवंबर 2020 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के समक्ष याचिका दायर की जो संबंधित अदालत/ न्यायाधिकरण (जनवरी 2021) द्वारा सुनवाई की प्रक्रिया में थे। 31 जनवरी 2021 तक बकाया राशि ₹14.79 करोड़<sup>12</sup> थी।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- गिरवी रखे गए शेयरों की प्रतिभूति पर ऋण दिया गया था। शेयर मूल्य की घटती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, शेयर मूल्य घटने की स्थिति में गिरवी रखे गए शेयरों को बेचने के लिए समय पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन कंपनी ने अक्टूबर 2017 से अप्रैल 2018 तक अतिरिक्त शेयरों/नकद अतिरिक्त राशि की भरपाई करने के लिए उधारकर्ता की बार-बार विफलता के बावजूद शेयर गिरवी करार के अनुसार समय पर शेयरों की बिक्री नहीं की। अक्टूबर 2017 के बाद कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा शेयर गिरवी करार में छूट को समय-समय पर अनुमोदित किया गया था जब शेयर की कीमत 20 प्रतिशत से अधिक गिर गई। इस अवधि के दौरान, शेयर की कीमत ₹27.55 प्रति शेयर से लेकर ₹57.95 प्रति शेयर तक थी। यदि कंपनी ने इस अवधि के दौरान गिरवी रखे गए शेयरों को बेच दिया होता, तो यह पूरी बकाया राशि<sup>13</sup> की वसूली कर सकता था।
- ऋण करार के अनुसार, देय राशि के पुनर्भुगतान में अपने संबंधित कानूनी करार के संदर्भ में आईएफसीआई लिमिटेड (मूल कंपनी) या उसकी किसी सहायक कंपनी के साथ उधारकर्ता द्वारा किए गए क्रॉस चूक की स्थिति में, चूक की उक्त स्थिति को कंपनी के लिए प्रतिबद्ध चूक माना जाएगा और ऐसी स्थिति में कम्पनी सहायता को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखेगी। उधारकर्ता फरवरी 2018 में, आईएफसीआई लिमिटेड को भुगतान करने में चूक गए। हालांकि, कंपनी को मूल/सहायक कम्पनी में उधारकर्ता के ऋण की स्थिति के बारे में पता नहीं था। इसलिए, कंपनी गिरवी रखे गए शेयरों की तत्काल बिक्री के लिए इस चूक पर विचार नहीं कर सकी।
- इसके बावजूद कि उधारकर्ता ने 02 मई 2018 से 02 जुलाई 2018 के दौरान चार किशतों में प्रतिभूति को टॉप-अप किया था, इसे बकाया ऋण के 2.5 गुना के अपेक्षित स्तर पर नहीं रखा गया था। इसके बाद, शेयर की कीमत और कम हो गई और 03 जुलाई 2018 से 24 सितंबर<sup>14</sup> 2018 के दौरान ₹12.55 प्रति शेयर से लेकर ₹18.70 प्रति शेयर हो गई

<sup>12</sup> ₹14.79 करोड़ = 31 जनवरी 2021 तक मूलधन ₹9.65 करोड़ और ब्याज ₹5.14 करोड़

<sup>13</sup> प्रति शेयर 27.55 की सबसे कम कीमत को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ₹17.91 करोड़ (यानी 65,00,000 शेयर \* ₹27.55) की राशि को वसूल सकती थी, जो बकाया राशि की वसूली के लिए पर्याप्त थी।

<sup>14</sup> कंपनी ने 25 सितंबर 2018 से 7,57,787 शेयरों को और बेचा। इसलिए, 24 सितंबर 2018 शेयर तक की कीमत पर विचार किया गया है।

थी। हालांकि, कंपनी ने इस अवधि के दौरान गिरवी रखे गए शेयरों को नहीं बेचा। यहां तक कि अगर प्रति शेयर ₹12.55 की सबसे कम कीमत पर विचार किया जाता है, तो कंपनी कम से कम ₹11.39 करोड़ (90,79,599 शेयर<sup>15</sup> x ₹12.55) की राशि वसूल सकती थी।

- उधारकर्ता नियमित रूप से क्रमशः मई 2017 और अगस्त 2017 के बाद से ब्याज और मूलधन के भुगतान में चूक गया। हालांकि, कंपनी ने चूक से 10 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद ही बैंक में उत्तर-दिनांकित चेकों को जमा करना शुरू कर दिया।
- कंपनी ने ऋण स्वीकृत करते समय अपनी स्वयं की ऋण नीति का पालन नहीं किया और उधारकर्ता के लिए रेटिंग शर्त में ढील दी। इसके अलावा, शेयर गिरवी करार के अनुपालन में छूट उचित नहीं थी जब उधारकर्ता मूलधन/ब्याज के भुगतान में अनियमित था और प्रतिभूति के टॉप-अप के लिए अपने वादे को बनाए रखने में विफल रहा था। इसके कारण उधारकर्ता से ₹14.79 करोड़ के बकाया देय की वसूली नहीं हुई।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2021) कि:

- चूक की स्थिति में कंपनी ने अतिरिक्त शेयरों/ वैकल्पिक प्रतिभूति/ नकद अतिरिक्त राशि टॉप-अप करने और ऋण खाते को नियमित करने के लिए अतिदेय का निपटान करने के लिए उधारकर्ता पर दबाव बनाने के लिए नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की। कंपनी ने भी 04 मई 2018 से बिक्री शुरू की। शेयरों की बिक्री के लिए नियमित प्रयास के बावजूद, कंपनी, कम ट्रेडिंग मात्रा के कारण केवल सीमित मात्रा में शेयरों को ऑफलोड कर सकी। तदनुसार, आवश्यक और उपलब्ध प्रतिभूति कवर में भारी अंतर को ध्यान में रखते हुए और गिरवी रखे गए शेयरों को प्राथमिक प्रतिभूति होने पर भी विचार करते हुए, केवल मौजूदा मूल्य पर शेयरों की बिक्री के माध्यम से कुल वसूली संभव नहीं थी और शेयरों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी।
- उधारकर्ता के ऋण खाते की स्थिति जानने के लिए आईएफसीआई लिमिटेड के साथ मामला को उठाया गया है।

निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उत्तर तर्कसंगत नहीं है:

- आवश्यक और उपलब्ध प्रतिभूति कवर के बीच भारी अंतर केवल इस तथ्य के कारण पैदा हुआ था कि कंपनी ने अक्टूबर 2017 से अप्रैल 2018 तक अतिरिक्त शेयरों/ नकद अतिरिक्त राशि की भरपाई करने के लिए उधारकर्ता की बार-बार विफलता के बावजूद समय

---

<sup>15</sup> 65,00,000 + 30,00,000 - 4,20,401 (मई 2018 में बेचे गए)

पर शेयर नहीं बेचे। बाद में, शेयर की कीमतों में और गिरावट आई जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभूति कवर की अपर्याप्तता हुई।

- प्रबंधन का यह तर्क कि कंपनी कम ट्रेडिंग मात्रा के कारण सीमित मात्रा में शेयरों को ऑफलोड कर सकी, भी तथ्यात्मक रूप से गलत है। यह देखा गया कि 25 अक्टूबर 2017 (अर्थात्, गिरवी रखे गए शेयरों की कीमत में 20 प्रतिशत की गिरावट की तिथि) से 03 मई 2018 तक (अर्थात्, कंपनी द्वारा शेयरों की पहली बिक्री की तिथि से पहले), उधारकर्ता कंपनी के कुल 14.12 करोड़ शेयरों को दोनों स्टॉक एक्सचेंजों (एनएसई/ बीएसई) में ट्रेड किया गया था। इसके अलावा, 03 जुलाई 2018 से (अर्थात्, शेयरों के अंतिम टॉप अप की तिथि के बाद) 24 सितंबर 2018 (यानी शेयरों की आगे की बिक्री की तिथि से पहले) के दौरान, उधारकर्ता कंपनी के 97.66 लाख शेयरों को दोनों एक्सचेंजों में ट्रेड किया गया था। इस प्रकार, दोनों एक्सचेंजों में गिरवी रखे गए शेयरों को बेचने के लिए ट्रेड मात्रा पर्याप्त थी।

- आईएफसीआई लिमिटेड के साथ फरवरी 2018 में उधारकर्ता ने चूक की। हालांकि, यह दिखाने के लिए रिकार्ड पर कुछ भी नहीं मिला कि आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड ने कभी भी अपनी मूल कंपनी के साथ ऋण खाते की स्थिति जानने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की। इसके अलावा, मूल कंपनी ने भी आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड के साथ इस तरह के विवरण को कभी साझा नहीं किया, जिससे पता चलता है कि ऋण करार में क्रॉस चूक से संबंधित खंड को प्रभावी बनाने के लिए कोई प्रणाली/ तंत्र मौजूद नहीं था। दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद अर्थात् जुलाई 2020 में आईएफसीआई लिमिटेड के साथ इस मामले को उठाया गया था।

इस प्रकार, ऋण स्वीकृत करने और वितरित करते समय ऋण नीति और ऋण करारों की शर्तों का अनुपालन न करना और उधारकर्ताओं के गिरवी शेयरों की बिक्री के लिए शेयर गिरवी करार के अनुपालन में समय पर कार्रवाई करने में विफलता के कारण आशापुरा इंटीमेट्स फैशन लिमिटेड (₹12.55 करोड़) और आर्कोटेक लिमिटेड (₹14.79 करोड़) से ₹27.34 करोड़ की बकाया राशि की वसूली नहीं हुई।

मार्च और जून 2021 में मंत्रालय को लेखापरीक्षा पैरा जारी किया गया था; उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (जुलाई 2021)।



नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

**4.3 पुनर्बीमा स्वीकृतियों के तहत अन्य बीमाकर्ताओं से सेवाकर की वसूली न होना**

अभिलेखों का रखरखाव न करने और पुनर्बीमा के तहत प्राप्त पार्टी वार पुनर्बीमा प्रीमियम के मिलान करने में विफलता के कारण, एनआईसीएल अन्य बीमाकर्ताओं से सेवा कर की वसूली के लिए चालान जुटाने में असमर्थ था जिसके परिणामस्वरूप ₹23.81 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनी के रूप में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल), बीमा में हानि के मामले में प्रीमियम वसूलकर और दावों के निपटारे से जोखिमों का अन्डरराइटिंग करने में लगी हुई है। एनआईसीएल को अन्य सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा अल्पलिखित बीमा पॉलिसियों के जोखिमों के हिस्से को स्वीकार करने के लिए पुनर्बीमा के तहत प्रीमियम भी प्राप्त होता है।

सेवा कर व्यवस्था के दौरान, एनआईसीएल को पुनर्बीमा संधि और करार के तहत बीमाकर्ताओं से पुनर्बीमा प्रीमियम प्राप्त हुआ और प्रत्येक तिमाही/वर्ष के अंत में उनके खातों में प्रीमियम बुक किया गया। प्रीमियम की बुकिंग के बाद, एनआईसीएल ने सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सेवा कर विभाग को प्राप्त कुल प्रीमियम पर सेवा कर का भुगतान किया। बीमाकर्ताओं से सेवा कर की प्राप्ति लंबित होने पर एनआईसीएल द्वारा अपने स्वयं की निधियों से कर का भुगतान किया गया। इसके बाद, एनआईसीएल ने उन बीमाकर्ताओं को मैनुअल चालान जारी किए जिनसे प्रीमियम प्राप्त हुआ था और तदनुसार एनआईसीएल द्वारा भुगतान किए गए सेवा कर की वसूली की गई थी। भारत सरकार ने जुलाई 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू किया था। तब से, एनआईसीएल ने प्रीमियम की बुकिंग के समय स्वतः ही मैनुअल प्रणाली के स्थान पर सिस्टम के माध्यम से चालान तैयार करना शुरू कर दिया था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान, एनआईसीएल ने बीमाकर्तावार मिलान किए बिना प्राप्त कुल प्रीमियम पर सेवा कर का भुगतान किया। कुल प्रीमियम की बीमाकर्तावार रसीद का मिलान न होने के कारण एनआईसीएल उन सभी बीमाकर्ताओं को चालान जारी करने में विफल रहा, जिनसे प्रीमियम प्राप्त हुआ था। इस प्रकार, एनआईसीएल अन्य बीमाकर्ताओं से इसके द्वारा भुगतान किए गए सेवा कर की वसूली करने में विफल रहा।

उपरोक्त अवधि के दौरान, एनआईसीएल ने सेवा कर विभाग को सेवा कर के रूप में कुल ₹110.61 करोड़ का भुगतान किया, जिसमें से केवल ₹86.80 करोड़ की वसूली की गई, जिससे ₹23.81 करोड़ की कमी आई। तीन से पांच वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद



भी बीमाकर्ता-वार विवरण उपलब्ध न होने के कारण कंपनी उपरोक्त शेष राशि का मिलान करने में विफल रही। इस प्रकार, एनआईसीएल को सेवा कर के रूप में ₹23.81 करोड़ की राशि को समावेशित करना पड़ा।

प्रबंधन ने उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि करते हुए कहा (मार्च 2021) कि स्वीकृत बिलों के प्रीमियम के प्रति सेवा कर जमा को संबंधित वर्षों के लिए वार्षिक खातों के अंत में सारांश आंकड़े के आधार पर किया गया था जिसमें सही पार्टी वार वसूली योग्य राशि का पता लगाने के लिए मिलान करने का आह्वान किया गया है। इसमें आगे कहा गया है कि उपरोक्त शेष राशियों की पहचान/मिलान को लगातार आगे बढ़ाया गया लेकिन पार्टी-वार मिलान को पूरा नहीं किया जा सका। क्योंकि सेवा कर की गणना, इसके भुगतान, चालान तैयार करना और वसूली को मैनुअल रूप से किया गया, इसलिए प्रबंधन को मिलान की प्रक्रिया में कठिनाई हुई।

इस प्रकार, आंतरिक नियंत्रण और मानिट्रिंग की कमी, पार्टीवार मिलान बनाए रखने में विफलता और चालान तैयार न करने के कारण, एनआईसीएल को ₹23.81 करोड़ की राशि को सेवाकर के रूप में समावेशित करना पड़ा, जिसके कर भार को बीमाकर्ता से वसूल किया जा सकता था।

मार्च 2021 में मंत्रालय को पैरा जारी किया गया था, उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (जून 2021)।

**सिफारिश संख्या 7**

*प्रबंधन को नियमित मानिट्रिंग के लिए कदम उठाने चाहिए और कर की वसूली न करने की घटनाओं से बचने के लिए पार्टीवार पुनर्बीमा प्रीमियम का समय पर मिलान सुनिश्चित करना चाहिए।*

## दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

### 4.4 स्टॉप लॉस पुनर्बीमा कवर प्राप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप हानि हुई

दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (कंपनी), प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, 2016-17 के लिए तमिलनाडु राज्य में पीएमएफबीवाई के तहत फसल बीमा कारोबार में स्टॉप लॉस पुनर्बीमा कवरेज प्राप्त करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप ₹63.76 करोड़ (कंपनी को ₹31.88 करोड़ और दो सह-बीमाकर्ताओं में प्रत्येक को ₹15.94 करोड़) की हानि हुई।

दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (कंपनी) ने भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू की गई 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (योजना), एक फसल बीमा योजना,<sup>16</sup> के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों की पहचान के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लिया और चयनित हुई थी (अगस्त 2016)। कंपनी प्रीमियम के 50 प्रतिशत हिस्से के साथ प्रमुख सदस्य थी जबकि दो सह-बीमा कंपनियां अर्थात् नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल) और दि ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओआईसीएल) में प्रत्येक ने 25 प्रतिशत प्रीमियम साझा किया। कंपनी को वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए तमिलनाडु के 10 जिलों<sup>17</sup> में कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुना गया था (अगस्त 2016)। योजना के दिशा - निर्देशों के अनुसार, बीमा कंपनियां अपने पोर्टफोलियो के लिए उचित पुनर्बीमा कवर के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (सामान्य बीमा-पुनर्बीमा) विनियम, 2016 में यह भी निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक भारतीय बीमाकर्ता/भारतीय पुनर्बीमाकर्ता/विदेशी पुनर्बीमा शाखा को पुनर्बीमा कार्यक्रम उचित लागत पर पॉलिसी धारक/बीमाकर्ता के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक सर्वोत्तम संभव पुनर्बीमा संरक्षण/कवरेज को सुरक्षित करना होगा।

कंपनी के निदेशक मंडल ने निर्णय लिया (नवंबर 2016) कि कंपनी प्रमुख सदस्य होने के नाते सभी तीन प्रतिभागी सदस्यों के लिए पुनर्बीमा संरक्षण की व्यवस्था करेगी। कंपनी ने बीमित राशि के 80 प्रतिशत के लिए पुनर्बीमा लिया और शेष 20 प्रतिशत के लिए जोखिम को अपने दम पर वहन करने का निर्णय किया ('शुद्ध प्रतिधारण' के रूप में संदर्भित)। इसे

<sup>16</sup> खरीफ 2016 सीजन से शुरू की गई योजना ने गैर-निरोध्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के खराब होने के प्रति एक व्यापक बीमा कवर प्रदान किया। किसानों ने खरीफ, रबी और बागवानी फसलों के लिए बीमांकिक प्रीमियम में क्रमशः 2 प्रतिशत, 1.5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत का योगदान दिया। बीमांकिक प्रीमियम का शेष सरकार द्वारा वहन किया गया था, जो राज्य और केंद्र सरकार के बीच समान रूप से साझा किया गया था।

<sup>17</sup> पुडुकोट्टई, नागापट्टनम, तूतीकोरिन, तंजावुर, विरुधुनगर, थेनी, कृष्णागिरी, धरमपुरी, विल्लुपुरम, और वेल्लोर

वैकल्पिक कोटा शेयर<sup>18</sup> आनुपातिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी 'स्टॉप लॉस संधि व्यवस्था' लेकर भी 20 प्रतिशत का अपना एक्सपोजर हासिल कर सकती थी लेकिन कंपनी द्वारा इस संबंध में कोई लागत-लाभ विश्लेषण नहीं किया गया था। यह कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित वार्षिक पुनर्बीमा कार्यक्रम के अनुरूप नहीं था। कंपनी ने इस योजना के लिए ₹501.96 करोड़ (सह-बीमा कंपनियों के हिस्से सहित) का प्रीमियम अर्जित किया, जिसके प्रति कुल दावा खर्च ₹1,496.21 करोड़<sup>19</sup> था। जबकि 80 प्रतिशत अंतर को पुनर्बीमा के माध्यम से कवर किया गया था, 20 प्रतिशत, जो ₹299.24 करोड़ था, को कवर नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया कि, यदि कंपनी ने स्टॉप लॉस पुनर्बीमा कवर लिया होता, तो ₹16.56 करोड़<sup>20</sup> (लगभग) की स्टॉप लॉस इंश्योरेंस कवर की लागत के बाद भी यह आंशिक रूप से ₹63.76 करोड़ की राशि को कवर कर सकता था।

इस प्रकार, 2016-17 के लिए योजना के तहत अपने एक्सपोजर के लिए स्टॉप लॉस पुनर्बीमा लेने की विफलता के परिणामस्वरूप कंपनी को ₹63.76 करोड़ (कंपनी को ₹31.88 करोड़ और उसके दो सह-बीमाकर्ताओं में प्रत्येक को ₹15.94 करोड़) की हानि हुई।

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग (मार्च 2021) द्वारा समर्थित कंपनी के उत्तर में कहा गया था (जनवरी 2021/ फरवरी 2021) कि:

- यह कारोबार का पहला वर्ष था और इसलिए पिछले दावे के आंकड़े/प्रवृत्ति उपलब्ध नहीं थी।
- खरीफ सीजन 2016 उस समय खत्म होने वाला था और बाजार में पुनर्बीमा के लिए कोई क्षमता नहीं थी। यहां तक कि यदि स्टॉप लॉस पुनर्बीमा उपलब्ध होता, तो भी लागत अधिक होती।
- बाद के आंकड़ों से पता चला है कि खरीफ के हिस्से पर लाभ हुआ था लेकिन रबी के लिए प्रकृति की अनिश्चितताओं से हानि हुई। साथ ही, वर्ष (2016-17) कठनाइयों के संबंध में विशेष रूप से बुरा था।

<sup>18</sup> कोटा शेयर संधि एक प्रो-राटा पुनर्बीमा संविदा (आनुपातिक व्यवस्था) है जिसमें बीमाकर्ता और पुनर्-बीमाकर्ता एक निश्चित प्रतिशत के अनुसार प्रीमियम और हानि साझा करते हैं। विकल्पी का अर्थ है केस टू केस आधार पर।

<sup>19</sup> वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में दावा खर्च क्रमशः ₹1,159.28 करोड़, ₹323.22 करोड़, ₹7.86 करोड़ और ₹5.85 करोड़ था।

<sup>20</sup> 2017-18 में लिए गए स्टॉप लॉस कवर के अनुसार

- योजना के दिशा-निर्देशों में विशेष रूप से यह उल्लेख नहीं किया गया था कि स्टॉप लॉस पुनर्बीमा को लिया जाना था और इसे बीमा कंपनियों पर छोड़ दिया गया था कि वे अपने एक्सपोजर को कम करें और उनके दावों को पूरा करें।
- हालांकि हानि हुई है, यह कंपनी की सहनीय सीमा के भीतर था। इसका कारण यह था कि 2016-17 के लिए कंपनी का निवल मूल्य ₹12,000 करोड़ था। और सामान्य नियम यह है कि प्रति जोखिम एक्सपोजर निवल मूल्य के तीन प्रतिशत से पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, जो इस मामले में अधिक नहीं था।

उत्तर को निम्नलिखित के प्रति देखा जाना है:

- कंपनी पहले भी सहबीमा व्यवस्था<sup>21</sup> के माध्यम से फसल बीमा कारोबार में थी और इसलिए जोखिम से पूरी तरह अपरिचित नहीं थी। इसके अलावा, एग्रीकल्चर इंशोरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एआईसीएल) द्वारा 27 सितंबर 2016 को हुई बैठक में फसल बीमा कारोबार में सहबीमा और पुनर्बीमा की प्रक्रियाओं पर भी चर्चा की गई थी, जिसमें स्टॉप लॉस पुनर्बीमा के लिए शर्तों का भी विस्तार से उल्लेख किया गया। कंपनी ने इस बैठक में भाग लिया और इसलिए स्टॉप लॉस पुनर्बीमा के संबंध में शर्तों के बारे में पता था। अन्य बीमा कंपनियों (यूनाइटेड इंडिया इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड और एआईसीएल) ने 2016-17 (अंश-वर्ष) में अपनी फसल बीमा कवरेज के लिए स्टॉप लॉस कवर को लिया है। कंपनी ने स्वयं पहले, अन्य विभागों (फायर/ इंजीनियरिंग और विविध) में वर्ष के मध्य में वार्षिक अवधि से कम के लिए स्टॉप लॉस पुनर्बीमा सुरक्षा को रखा था। इस मामले में, 'स्टॉप लॉस' कवर लेने या न लेने के बारे में ऐसा कोई लागत लाभ विश्लेषण नहीं किया गया था।
- क्षमता की कमी और स्टॉप लॉस पुनर्बीमा के लिए उच्च लागत के संबंध में प्रबंधन का विरोध रिकॉर्ड द्वारा समर्थित नहीं है, अतः स्टॉप लॉस पुनर्बीमा नहीं लेना कंपनी का एक सचेत निर्णय नहीं था।
- खरीफ के लिए अर्जित लाभ का तर्क गलत हो सकता है क्योंकि रबी एक अलग मौसम है। इसके अलावा, खरीफ फसल (₹2.97 करोड़) की तुलना में रबी फसल (₹498.99 करोड़) का प्रीमियम 99 प्रतिशत से अधिक था, जो उच्च एक्सपोजर और रबी के लिए बेहतर प्रतिभूति की आवश्यकता को दर्शाता है। 2016-17 में प्रकृति की अनिश्चितताओं की असाधारण गंभीरता के बारे में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी वर्षों

<sup>21</sup> 2016-17 से पहले, कंपनी 49 प्रतिशत होल्डिंग के साथ मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए सह-बीमाकर्ता थी और एग्रीकल्चर इंशोरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड 51 प्रतिशत होल्डिंग के साथ अग्रणी थी।

में हानि हुई थी और 2016-17 की तुलना में 2019-20<sup>22</sup> में स्थिति बदतर थी, जो फसल बीमा के लिए एक मजबूत पुनर्बीमा रणनीति का आह्वान करती है।

- योजना के दिशा-निर्देशों में 'उपयुक्त' पुनर्बीमा का उल्लेख किया गया है और इसलिए बीमा कंपनी पर पुनर्बीमा के प्रकार का चयन करने की जिम्मेदारी थी, जो इस मामले में अपर्याप्त साबित हुई।
- हालांकि प्रबंधन ने विरोध किया है कि प्रति जोखिम एक्सपोजर के अनुभवसिद्ध सामान्य नियम के अनुसार कंपनी की सहनीय सीमा के भीतर हानि निवल मूल्य के तीन से पांच प्रतिशत से अधिक नहीं थी, वर्ष 2016-17 के पुनर्बीमा कार्यक्रम या 2016-17 में कारोबार को अंडरराइटिंग करते समय लिए गए नीतिगत निर्णयों में ऐसी सहनीय सीमा/अनुभव सिद्ध नियम का उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही इस विवाद के लिए प्रबंधन द्वारा कोई सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है।

इस प्रकार, वर्ष 2016-17 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपने एक्सपोजर के लिए स्टॉप लॉस पुनर्बीमा कवर लेने में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप कंपनी को ₹63.76 करोड़ (कंपनी को ₹31.88 करोड़ और इसके दो सह-बीमाकर्ताओं में प्रत्येक को ₹15.94 करोड़) की हानि हुई।

#### 4.5 प्रीमियम दर के कम निर्धारण और उच्च दावा अनुपात के कारण हानि

पशुधन बीमा को अंडरराइटिंग करते समय उचित सतर्कता लेने में विफलता के परिणामस्वरूप प्रीमियम दर का कम निर्धारण हुआ और बीमा पॉलिसी के तहत ₹10.31 करोड़ की हानि हुई।

तेलंगाना राज्य पशुधन विकास एजेंसी (टीएसएलडीए) ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत केंद्र प्रायोजित पशुधन बीमा के कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों से कोटेशन मांगा (अप्रैल 2017)। इस योजना में तेलंगाना राज्य में दूध देने वाली गायों/भैसो की दुर्घटना, बीमारियों, सर्जिकल ऑपरेशन और हडताल, दंगा और नागरिक हंगामे के जोखिमों के कारण मृत्यु को कवर करने की परिकल्पना की गई थी। कवर किए जाने वाले जानवरों की अनुमानित संख्या 83,000 थी। बीमित व्यक्ति के पास पशुओं के मूल्य के आधार पर एक वर्ष या तीन वर्ष के लिए ₹10,000 से लेकर ₹60,000 तक बीमित राशि के साथ पशुओं का बीमा करने का विकल्प था।

<sup>22</sup> 2019-20 में, खर्च किए गए दावा अनुपात (आईसीआर यानी निवल दावा/निवल प्रीमियम x 100) 308.81 प्रतिशत था जबकि 2016-17 में यह 298.07 प्रतिशत था।

दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईए) ने एक वर्ष के लिए बीमित राशि का 1.77 प्रतिशत और तीन वर्ष के बीमा कवरेज के लिए बीमित राशि पर 5.25 प्रतिशत का प्रीमियम उद्घृत किया और बीमा अनुबंध प्राप्त किया। एनआईए और टीएसएलडीए के बीच तीन वर्ष के लिए वैध एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। अनुमानित 83,000 जानवरों की तुलना में तेलंगाना राज्य के नौ जिलों से वर्ष 2016-17 के लिए इस योजना के तहत 47,439 पशुओं को ₹4.99 करोड़ के प्रीमियम के तहत कवर किया गया था। हालांकि, एनआईए को ₹15.30 करोड़ के कुल दावों का भुगतान करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप 306 प्रतिशत के दावा अनुपात के साथ ₹10.31 करोड़ की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पिछली अवधि (2014-15) के दौरान, इस योजना को दि ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद द्वारा एक वर्ष के लिए बीमित राशि पर 3.24 प्रतिशत और तीन वर्षों के लिए बीमित राशि पर 7.30 प्रतिशत के प्रीमियम के लिए बीमित किया गया था और 217 प्रतिशत के उपगत दावा अनुपात (आईसीआर) के साथ ₹9.54 करोड़<sup>23</sup> की हानि हुई थी। प्रीमियम का कोटेशन देते हुए एनआईए ने पहले की अवधि में दि ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा अनुभव की गई उच्च आईसीआर पर विचार नहीं किया। एनआईए के अंडरराइटिंग दिशा निर्देशों में 100 प्रतिशत और उससे अधिक के दावा अनुपात के लिए प्रीमियम के समायोजन की भी परिकल्पना की गई थी। इस प्रकार, समाप्त हो रही पॉलिसी के आईसीआर का पता लगाने में एनआईए की विफलता के परिणामस्वरूप प्रीमियम का कम निर्धारण हुआ और जोखिम की अविवेकपूर्ण अंडरराइटिंग के कारण ₹10.31 करोड़ की हानि हुई।

एनआईए ने जवाब दिया (जनवरी 2020) कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत पशुधन को कवर करने की दरों को दावों के अनुपात के अखिल भारतीय अनुभव और प्रतिस्पर्धी बाजार स्थितियों के तहत प्रचलित दरों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए मंजूरी दी गई थी। इसमें आगे कहा गया है कि टीएसएलडीए, हैदराबाद द्वारा जारी निविदा में पिछले दावों का अनुभव नहीं था क्योंकि यह एक नया परिसीमन किया गया राज्य था और वे पहली बार निविदा जारी कर रहे थे।

मंत्रालय ने कहा (मार्च 2021) कि कोटेशन प्रस्तुत करते समय एनआईए ने टीएसएलडीए से पिछले दावों के अनुभव के लिए अनुरोध किया था और यह प्रदान नहीं कराया गया था। इसलिए, एनआईए के पास पिछली हानि के अनुभव को ध्यान में रखते हुए एक कोटेशन तैयार करने की कोई संभावना नहीं थी।

<sup>23</sup> उपगत दावे - ₹17.64 करोड़ घटा प्राप्त प्रीमियम ₹8.10 करोड़

एनआईए का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रतिस्पर्धी बाजार की स्थितियों के तहत प्रचलित दरों की प्रवृत्ति के आंकड़े न तो अभिलेख में पाए गए और न ही लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए थे। हालांकि आंध्र प्रदेश से विभाजित तेलंगाना एक नया राज्य था, राष्ट्रीय पशुधन मिशन एक सतत योजना थी और बीमित/लाभार्थी समूह समान था। इस प्रकार, एक विवेकपूर्ण अंडरराइटर के रूप में एनआईए को दावा अनुपात के अपने अखिल भारतीय अनुभव पर विचार करने के अलावा योजना के तहत बीमा कवरेज के दावों के अनुभव के बारे में पता लगाना चाहिए था। मंत्रालय का उत्तर कि एनआईए के पास पिछली हानि के अनुभव को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम ज्ञात करने की कोई संभावना नहीं थी, यह भी तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एनआईए पिछली पॉलिसी के दावों के डेटा को प्रस्तुत करने पर प्रीमियम दरों को अंतिम रूप देने के अधीन उचित दावा लोडिंग क्लॉज के साथ अनंतिम प्रीमियम दरों का कोटेशन कर सकता था।

इस प्रकार, समाप्त हो रही पॉलिसी के आईसीआर को सुनिश्चित करने में एनआईए की विफलता के परिणामस्वरूप प्रीमियम का कम निर्धारण हुआ और जोखिम की अविवेकपूर्ण अंडरराइटिंग के कारण ₹10.31 करोड़ की हानि हुई।

#### दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

#### 4.6 बीमा प्रीमियम का कम संग्रह

दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (कंपनी), मोटर थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसियों के नियम और शर्तों में एक खंड को शामिल करने के लिए बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) से संपर्क करने में विफल रही, जो दरों में संशोधन की स्थिति में प्रीमियम की अंतर राशि की वसूली को सक्षम बनाती, जिसके कारण 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान ₹7.14 करोड़ की राजस्व हानि हुई। इसके अलावा, कंपनी ने आईआरडीएआई द्वारा अधिसूचित संशोधित दर के बजाय 4,264 मामलों में प्रीमियम की पुरानी दर प्रभारित की, जिससे ₹0.49 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) अधिनियम 1999 की धारा 14 (2) (i) के तहत निहित शक्तियों के आधार पर, आईआरडीएआई 2011 से प्रत्येक वर्ष मोटर थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पर लागू मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम को अधिसूचित करता रहा है। वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए, प्रत्येक श्रेणी के वाहनों के लिए पिछले

वित्तीय वर्ष के 28 मार्च<sup>24</sup> को दरों को अधिसूचित किया गया था और ये दरें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से लागू थीं। वर्ष 2019-20 के लिए, 04 जून 2019 को दरें अधिसूचित<sup>25</sup> की गई थीं जो 16 जून 2019 से प्रभावी थी। आईआरडीएआई से अधिसूचना प्राप्त होने पर, दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (कंपनी) प्रीमियम की संशोधित राशि प्रभारित करने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को एक परिपत्र जारी करती है।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया (नवंबर 2019) कि नई पॉलिसियों/ मौजूदा मोटर पॉलिसियों के नवीकरण के लिए 53,871 अनुरोधों के मामले में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से पॉलिसी प्रभावी तिथि के साथ 1 अप्रैल 2016, 17 अप्रैल 2017 और 1 अप्रैल 2018 से पहले प्राप्त हुए, अनुरोधों को कंपनी ने संसाधित किया और प्रस्ताव की तिथि पर प्रचलित दरों पर मोटर थर्ड पार्टी पॉलिसी जारी की। इसी तरह वर्ष 2019-20, में 16 जून 2019 (अर्थात, जिस तिथि से संशोधित थर्ड पार्टी प्रीमियम दरें प्रभावी थीं) से पहले प्राप्त 47,190 प्रस्तावों जहां 16 जून 2019 को या उसके बाद पॉलिसी प्रभावी होनी थी कंपनी ने प्रस्ताव की तिथि पर प्रचलित दर पर मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम को प्रभारित किया जैसा कि *अनुलग्नक-III* में विवरण दिया गया है। चूंकि आईआरडीएआई द्वारा तय की गई मोटर थर्ड पार्टी दरों के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा कोई छूट की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, इसलिए प्रीमियम की अंतर राशि को पॉलिसीधारकों से प्राप्त किया जाना चाहिए था।

कंपनी मोटर थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसियों के नियमों और शर्तों में किसी भी खंड के अभाव में ₹7.14 करोड़ के प्रीमियम की अंतर राशि की वसूली नहीं कर सकी। इसके अलावा, कंपनी ने प्राप्त 4,264 प्रस्तावों में पूर्व-संशोधित दर उस तिथि के बाद से प्रभारित की, जिससे आईआरडीएआई द्वारा अधिसूचित संशोधित दरें प्रभावी<sup>26</sup> हो गईं, जिसके कारण ₹0.49 करोड़ की प्रीमियम राशि कम संग्रह हुआ जैसा कि *अनुलग्नक-IV* में दर्शाया गया है।

---

<sup>24</sup> 28 मार्च 2017 को अधिसूचित दरें, 17 अप्रैल 2017 में दोबारा संशोधित की गई थी और 1 अप्रैल 2017 से पूर्व प्रभावी तरीके से लागू की गई।

<sup>25</sup> आईआरडीएआई ने अपने आदेश दिनांक 28 मार्च 2019 में आगे किसी नोटिस तक 2018-19 वर्ष के लिए दरों की वैधता को 31 मार्च 2019 से आगे तक बढ़ा दिया। 2019-20 के लिए दरें बाद में 04 जून 2019 को अधिसूचित की गईं।

<sup>26</sup> 2016-17 के लिए 1 अप्रैल 2016, 2017-18 के लिए 17 अप्रैल 2017, 2018-19 के लिए 1 अप्रैल 2018 और 2019-20 के लिए 16 जून 2019।



प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2021) कि:

- आईआरडीएआई अधिसूचना में निर्दिष्ट कार्यान्वयन की तिथि को या इसके पश्चात जोखिम प्रारंभ तिथियों के साथ उक्त पॉलिसियों को आईटी प्रणाली में संशोधित दरों को कार्यान्वित करने से पूर्व जारी किया गया था। ऐसी प्रत्येक अधिसूचना के बाद ओआईसीएल प्रणाली को यथावत अद्यतित किया गया था और संशोधन की प्रभावी तिथि को या उससे पहले जांच की गई थी। प्रणाली उन्नयन और तत्पश्चात जांच के लिए अपेक्षित समय को देखते हुए, नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में तत्काल एवं समय पर बदलाव सुनिश्चित करने हेतु उचित सावधानी बरती गई थी।
- कंपनी अपने परिचालन कार्यालयों के माध्यम से विभेदक प्रीमियम का संग्रहण करने के लिए बीमाकृत तक नियमित रूप से पहुँचती है। हालांकि, इस तथ्य से उक्त को बाधा पहुँचती है कि बीमाकृत व्यक्ति शायद ही कभी उस राशि से अधिक का भुगतान करना चाहते हैं जिसका भुगतान वे पहले ही कर चुके हैं।
- आईआरडीएआई परिपत्र<sup>27</sup> के अनुसार कवर की निबंधन एवं शर्त और नीतियों, अनुमोदनों, वारंटियों की शब्दावली और पूर्व टैरिफों में वर्णित खंड तब तक लागू रहेंगे जब तक कि प्राधिकरण द्वारा विभिन्न पणधारकों के मतों पर विचार करने के बाद नई बाजार शब्दावली की जांच और उसे स्वीकार नहीं कर लिया जाता। इसके परिणामस्वरूप, उक्त नीति की किसी निबंधन एवं शर्तों को संशोधित करने हेतु कंपनी द्वारा किया गया कोई प्रयास मोटे तौर पर नियामक अनुदेशों की शक्तियों से बाहर होगा।

निम्नलिखित को देखते हुए उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं:

- यह तथ्य, कि प्रीमियम को दर संशोधन की प्रभावी तिथि के बाद प्राप्त 4,264 प्रस्तावों के मामले में संशोधित दर के अनुसार प्रभारित नहीं किया गया था, स्वयं दर्शाता है कि नियामक अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रणालियों को समय पर अद्यतित नहीं किया गया था।
- पॉलिसी में सक्षम खंड शामिल न करने के कारण बीमाकृत से विभेदक प्रीमियम राशि की वसूली हेतु कोई विधिक प्रवर्तनीयता नहीं थी।

<sup>27</sup> आईआरडीएआई परिपत्र संदर्भ सं. 048/आईआरडीएआई/डीई-टैरिफ/दिस-07 दिनांक 18 दिसम्बर 2007

- संदर्भित आईआरडीएआई परिपत्र में नई बाजार शब्दावलियों के समावेश/निबंधन एवं शर्तों में बदलाव की गुंजाईश का स्पष्ट प्रावधान किया गया था। तथापि, कंपनी का उत्तर दर्शाता है कि इसने बीमाकृत से विभेदक प्रीमियम की वसूली में आई बाधा के बारे में सूचना देने के लिए आईआरडीएआई से कभी चर्चा नहीं की जिसके कारण कंपनी को राजस्व हानि हुई।

इस प्रकार, मोटर थर्ड पार्टी देयता बीमा पॉलिसियों की दोषपूर्ण निबंधन एवं शर्तों तथा कमियों का समाधान करने में प्रबंधन की अकर्मण्यता के साथ प्रीमियम की संशोधित दरों को प्रभारित करने में विफलता के कारण कंपनी को 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान ₹7.63 करोड़ की राजस्व हानि हुई, जो उपचारात्मक कार्रवाई होने तक जारी रहेगी।

लेखापरीक्षा पैराग्राफ फरवरी 2021 में मंत्रालय को जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2021)।